प्रथम बैठक की कार्यवाही (22.11.2011)

माननीय मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 22.11.2011 को अपराह्न 03:00 बजे मानव विकास से सम्बन्धित लक्ष्यों एवं संगत कार्यक्रमों के पर्यवेक्षण एवं समीक्षा हेतु मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संकल्प ज्ञापांक 1456, दिनांक 29.09.2011 द्वारा गठित "राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति" की बैठक की कार्यवाही।

प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात लक्ष्य से करीब डेढ़ गुणा अधिक होने, विद्यार्थी–वर्ग कक्ष अनुपात लगभग दुगुना होने, मध्याह्न भोजन योजना का लाभ कुल नामांकित 2,05,60,199 विद्यार्थियों में से मात्र 92,34,844 को मिलने की बात कही गयी। साथ ही विद्यालयों में शौचालय एवं पेयजल की सुविधा में लक्ष्य से काफी पीछे रहने का उल्लेख किया गया। इस क्रम में उनके द्वारा 11–14 वर्ष की बालिकाओं के नामांकन में अभूतपूर्व सफलता, साईकिल तथा पोशाक योजनाओं का अच्छा प्रभाव, गुणात्मक शिक्षा में सुधार की आवश्यकता का उल्लेख किया गया।

2. सचिव, समाज कल्याण विभाग द्वारा यह कहा गया कि टेक होम राशन योजना के तहत जो न्यूट्रिशन की सुविधा दी जाती है उसमें परिवर्त्तन की आवश्यकता है। टेक होम राशन आंगनबाड़ी सेविका द्वारा दिया जाता है और सेविका द्वारा खुद ही खाना बनाया जाता है और बांटा जाता है। इस तरह दोनो कार्य सेविका को ही करना पड़ता है तथा इसका पर्यवेक्षण/निरीक्षण सी०डी०पी०ओ० द्वारा किया जाता है। इससे क्रॉस चेकिंग संभव नहीं हो पाती है। इस कारण बिहार राज्य में 50 प्रखण्डों में एस०एच०जी० के माध्यम से न्यूट्रिशन और टी०एच०आर० की व्यवस्था की जा रही है। इसकी सफलता के बाद इस पर विचार किया जायेगा।

3. प्रबंध निदेशक, महादलित विकास निगम द्वारा राज्य सामाजिक सुरक्षा योजना की तरह समीक्षा कर भिखारी, कुष्ठ रोगी और विकलांग व्यक्तियों हेतु भी योजना बनाने एवं निःशक्तता पेंशन योजना की प्रक्रिया और डिजाइन में बदलाव का मत व्यक्त किया गया, ताकि उचित मदद से ऐसे व्यक्ति आगे बढ़ सकें। सरकारी योजनाओं की जानकारी महादलित को देना और महादलितों के लिए जो सरकारी योजनाएं चलायी जा रही है उनका लाभ उनको दिलाने हेतु विकास मित्रों की सहभागिता पर उनके द्वारा बल दिया गया।

4. मुख्य सचिव द्वारा कहा गया कि सभी सम्बंधित विभाग संगत लक्ष्यों के प्रसंग में एक प्रेजेन्टेशन प्रस्तुत करेंगे, जिसके आधार पर आगे की रणनीति तय की जायेगी। लक्ष्य क्या है, लक्ष्य से हम कितने पीछे हैं, इस हेतु लॉग टर्म एक्शन प्लान क्या होगा। उन्होंने कहा कि मानव विकास से संबंधित इन्डीकेटर और इसमें कमी को पूरा करने हेतु सभी विभागों में एक समिति हुआ करती थी, जिसे भंग कर इस अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है, ताकि सभी सम्बन्धित विभाग एक दूसरे से जुड़ कर योजनाओं का कार्यान्वयन सशक्त रूप से कर सकें।

5. माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा इन्सेफलाईटिस रोग से ग्रसित मरीजों के सम्बन्ध में यह कहा गया कि इस रोग से ग्रसित अधिकतर मरीज बचने के बाद विकलांगता की स्थिति में चले जाते है। ऐसे मरीजों को बेहतर सुविधा एवं सहायता उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ताकि ऐसे विकलांग मरीज अपना जीवन बेहतर तरीके से जी सके।

6. माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि मिशन का मुख्य उद्देश्य राज्य के नागरिकों के चहुमुखी विकास के साथ उन्हें गरिमापूर्ण जीवन शैली उपलब्ध कराना है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने यह भी कहा कि मानव विकास ही सही मायने में विकास है। इसको लेकर जो भी योजनाएं विभिन्न विभागों के तहत चल रही है, उनकी मॉनिटरिंग एवं कार्यान्वयन सभी विभाग मिलकर करेंगे तथा सर्वप्रथम मुख्य सचिव के स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग की जायेगी। माननीय मुख्य मंत्री द्वारा कौशल विकास योजना का लाभ जनता को हो, इसके लिए श्रम संसाधन विभाग, शिक्षा विभाग एव महादलित विकास निगम को एक साथ कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया। विशेष रूप से वसुधा केन्द्रों को कोई कार्य नहीं मिलने का जिक्र किया गया और यह निदेश दिया गया कि बहुत सी योजनाएं वसुधा केन्द्र के माध्यम से कार्यान्वित की जा सकती हैं, जिसके लिए आवश्यक कार्रवाई की जाय। मिड–डे–मिल योजना के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री द्वारा कहा गया कि जो आंकड़े विभाग द्वारा प्रस्तुत किये गये है, उसमें त्रुटियाँ हैं। नामांकित 56 % बच्चे के हिसाब से इस योजना का लाभ लगभग 1.20 करोड़ बच्चों को मिलना चाहिए। परन्तु विभागीय आंकड़े में 93 लाख बच्चों को ही इस योजना का लाभ मिलता दिखाया जा रहा है।

7. माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा पहली बैठक में निम्नलिखित दिशा निदेश दिये गये –

(i) मिशन मानव विकास को यह देखना है कि कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में कहाँ–कहाँ गैप है, जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है।

(ii) बेहतर अनुश्रवण के लिए यह आवश्यक है कि सभी संबंधित विभाग प्रमुख अनुश्रवण के मापदंड निर्धारित करे तथा इन्डीकेटर्स विकसित करे, जिनके आधार पर विभाग के कार्यों की समीक्षा हो।

(iii) **मुख्य सचिव महोदय अपने स्तर पर सभी संबंधित विभागीय सचिवों की बैठक कर मानव विकास के प्रमुख Indicators, जिनका अनुश्रवण इस समिति द्वारा किया जाएगा, को अन्तिम रूप दिया जाए। अनुश्रवण समिति प्रत्येक** बैठक में चयनित Indicators की समीक्षा करेगी और समीक्षा के आधार पर ही एक समेकित तरीके से मानव विकास के कार्यों को आगे बढ़ाया जायेगा।

(iv) राज्य अनुश्रवण समिति की अगली बैठक दिनांक 20 दिसम्बर को 03:00 बजे अपराह्न संवाद भवन में निर्धारित की गयी।

(v) मुख्य मंत्री जी द्वारा यह भी निदेश दिया गया कि मुख्य सचिव/विकास आयुक्त की अध्यक्षता में समय–समय पर मानव विकास का अनुश्रवण हो एवं अनुश्रवण के ढांचे को पूरी तरह से तैयार कर लिया जाय। ऐसा करने पर समिति की बैठक और उपयोगी होगी तथा Focused तरीके से चयनित कार्यक्रमों एवं प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाया जा सकेगा।

ह0/–
मुख्य सचिव

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

ज्ञापांक – मं०मं०–01/मंत्रिपरिषद – 17/2011 32 पटना–15, दिनांक 5.1.12

प्रतिलिपि – मुख्य मंत्री के सचिव/उप मुख्य मंत्री के आप्त सचिव/मंत्री, मानव संसाधन विकास सम्प्रति शिक्षा के आप्त सचिव/मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/मंत्री, समाज कल्याण के आप्त सचिव/मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के आप्त सचिव/मंत्री, अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण के आप्त सचिव/मंत्री, अल्प संख्यक कल्याण के आप्त सचिव/मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण के आप्त सचिव/मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा के आप्त सचिव/मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी के आप्त सचिव/मंत्री, योजना एवं विकास के आप्त सचिव/मंत्री, श्रम संसाधन के आप्त सचिव/मंत्री, सूचना एवं जन सम्पर्क के आप्त सिचव/मंत्री, सूचना प्रावैधिकी के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/1/12

(विनोद प्रसाद सिंह)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक – मं०मं०–01/मंत्रिपरिषद – 17/2011 32 पटना–15, दिनांक 5.1.12

प्रतिलिपि – मुख्य सचिव, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/शिक्षा विभाग/स्वास्थ्य विभाग/समाज कल्याण विभाग/पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/अल्प संख्यक कल्याण विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/कला, संस्कृति एवं युवा विभाग/विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग/योजना एवं विकास विभाग/श्रम संसाधन विभाग/सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग/सूचना प्रावैधिकी विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/1/12

(विनोद प्रसाद सिंह)
सरकार के अपर सचिव

5/1/12